अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में आया परिवर्तन-एक अध्ययन

[उज्जैन जिले के बैरवा एवं बलाई जाति के विशेष संदर्भ में]

शोधपत्र-समाजशास्त्र

* डॉ. (श्रीमती) मिथिलेश शर्मा

भारतीय समाज में अस्पृश्यता का रोग सदियों पुराना है। बुद्ध से लेकर महात्मा गाँधी तथा डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने सतत् रूप से इस रोग को समाप्त करने का प्रयास किया।

मनुवादी प्राचीन व्यवस्था में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के साथ छुआछूत, भेदभाव का व्यवहार किया जाता रहा है। धार्मिक आधारों पर उन पर अनेकों प्रकार की निर्योग्यताएँ लादी गईं। स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात् इन जातियों के उत्थान एवं विकास के लिये कई कार्य किये गये हैं। 20वीं शताब्दी में महात्मा गाँधी तथा डॉ. भीमराव आम्बेडकर एवं अन्य समाज सुधारकों द्वारा इन जातियों को समाज की मूलधारा से जोड़ने के लिये प्रयास किये गये। संविधान समिति के डफ्टिंग कमेटी के चेयरमेन होने के नाते डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्थाएँ की जिससे अनुसूचित जातियों– जनजातियों के सदस्यों को समानता, स्वतंत्रता एवं बधुत्व की प्राप्ति हुई है, उन्हें विकास, उन्नति एवं सफलता के अवसर प्राप्त हुए हैं। संविधान प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति से एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के सदस्यों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है एवं आ रहा है। निर्योग्यताएँ समाप्त कर दी गई हैं एवं उन्हें विशेष अधिकार दिये गये हैं। अब वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, आधुनिक ज्ञान–विज्ञान से परिचित हो रहे हैं, जिससे उनके जीवन, विचार, रहन–सहन, रीति–रिवाज आदि में भी परिवर्तन आ रहा है एवं वे स्वयं के विकास के साथ समाज के विकास में अपनी योग्यता एवं क्षमता का परिचय दे रहे हैं। प्रस्तुत शोध कार्य अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में हुए उन परिवर्तनों का ज्ञात करने का प्रयास है, जो संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति से उन्हें प्राप्त हुए हैं।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की सामाजिक स्थिति में किस तरह का परिवर्तन आया है एवं आ रहा है। किस तरह उनके जीवन, रहन–सहन, सोच–विचार, सामाजिक स्थिति जिजीविषा आदि में परिवर्तन आया है। इन सभी बातों का जानना एवं समझना भी इसका उद्देश्य है।

अध्ययन क्षेत्र – अध्ययन क्षेत्र के रूप में उज्जैन जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का चयन किया गया। इस हेतु उज्जैन जिले की 7 तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों से 100 एवं नगरीय क्षेत्रों से 100 न्यादर्शों का चयन किया गया है।

निदर्शन निर्धारण – निदर्शन के रूप में उज्जैन जिले के बैरवा जाति के 100 सदस्यों का एवं बलाई जाति के 100 सदस्यों का चयन किया गया। इन्हीं दो जातियों का चयन करने का यह कारण है कि ये जातियाँ उज्जैन जिले की सभी तहसीलों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। साथ ही इनकी जनसंख्या भी अधिक है। दोनों ही जातियों के सदस्य समाज के सभी क्षेत्रों में कार्यरत् है एवं इनकी सामाजिक एवं राजनैतिक सहभागिता भी अधिक है। न्यादर्श चयन के लिये देव निर्देशन के अन्तर्गत लाटरी प्रणाली एवं स्टेटीफाइड प्रणाली का उपयोग किया गया। 50 सदस्य नगरीय क्षेत्र से एवं 50 सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से बैरवा समाज के लिये गये। इसी प्रकार 50 सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से 50 सदस्य नगरीय क्षेत्र से बलाई समाज के लिये गये। कुल 200 न्यादर्शों का चयन किया गया।

उपकल्पनाओं का निर्धारण – अध्ययन हेतु निम्नांकित उपकल्पनाओं को अध्ययन का आधार बनाया गया :–

1. संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति से उनके विचारों एवं सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं एवं स्थिति में परिवर्तन आया है एवं आ रहा है। 2. वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। समाज व शासन का दृष्टिकोण उनके प्रति सकारात्मक है।

अध्ययन की पद्धति – अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति

* 268/1, देसाई नगर, उज्जैन

का उपयोग करते हुए अध्ययन के तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया। साथ ही अवलोकन का भी सहारा लिया गया। तत्पश्चात् वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये।

तालिक क्रमांक 1

स.क्र.	हाँ	नहीं	योग	प्रतिशत
1.	–	200 (100%)	200	100
2.	17 (8.5%)	183 (91.5%)	200	100
3.	164 (88%)	36 (18%)	200	100
4.	180 (90%)	20 (10%)	200	100
5.	189 (94.5%)	11 (5.5%)	200	00

प्र. 1. ऊँच–नीच की भावना उचित है।

प्र. 2. आपके साथ पूर्व के समान व्यवहार होता है।

प्र. 3. आप अपनी बालिका को शिक्षा प्राप्ति हेतु बाहर भेजेंगे।

प्र. 4. स्त्री शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है।

प्र. 5. आरक्षण व्यवस्था आवश्यक है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि 100 प्रतिशत सूचनादाता मानते हैं कि समाज में ऊँच–नीच की भावना उचित नहीं है। 91.5 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार अब पूर्व के समान व्यवहार नहीं होता है, जिसका कारण संवैधानिक समानता का अधिकार एवं अस्पृश्यता का कानूनन उन्मूलन बताया गया, जबकि 8.5 प्रतिशत के अनुसार उनके साथ आज भी असमानता का व्यवहार होता है, जिसका प्रमुख कारण ग्रामीण अंचलों में आज भी कुछ लोगों में रुढ़ीवादित, पुरातन मानसिकता एवं जाति व्यवस्था की भावनाएँ व्याप्त होना है।

82 प्रतिशत सूचनादाता अपनी बालिका को शिक्षा प्राप्त हेतु अन्य बाहर शहर में भेजना गलत नहीं मानते एवं भेजना चाहते हैं, जो बताता है कि अब लोग शिक्षा के प्रति जागृत है एवं शिक्षा प्राप्ति को सामाजिक–आर्थिक प्रगति एवं विकास का आधार मानते हैं। 90 प्रतिशत सूचनादाता स्त्री शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण साधन मानते हैं। इसका एक प्रमुख कारण शासन द्वारा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना एवं विशेष सुविधाएँ प्रदान करना बताया गया।

तालिक क्रमांक 2

स.क्र.	हाँ	नहीं	योग	प्रतिशत
1.	200 (100%)	–	200	100
2.	16 (8%)	184 (92%)	200	100
3.	184 (92%)	16 (8%)	200	100

प्र. 1. नाताप्रथा प्रचलित है। प्र. 2. दहेजप्रथा प्रचलित है। प्र. 3. पर्दाप्रथा प्रचलित है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 दर्शाती है कि 100 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार उनकी जाति में नाताप्रथा प्रचलित है, जिसका प्रमुख कारण इन सदस्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना एवं स्त्रियों में आर्थिक स्वावलम्बन की कमी है। 8 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार उनकी जाति में दहेज प्रथा आज भी प्रचलित है। 92 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार पर्दाप्रथा उनकी जाति में अधिक है। उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उनकी जाति में व्याप्त कुरीतियाँ धीरे–धीरे समाप्त हो रही है।

तालिक क्रमांक 3

स.क्र.	हाँ	नहीं	योग	प्रतिशत
1.	147 (73.5%)	53 (26.5%)	200	100
2.	200 (100%)	–	200	100
3.	194 (97%)	06 (03%)	200	100
4.	147 (73.5%)	53 (26.5%)	200	100

प्र. 1. शासकीय प्रयास से आपकी स्थिति में सुधार हुआ है। प्र. 2. आपके परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। प्र. 3. दूसरी जातियों के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं। प्र. 4. शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है। उपरोक्त तालिका क्रमांक 3 से स्पष्ट होता है कि 73.5 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार शासकीय प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। शासकीय प्रयासों एवं आरक्षण व्यवस्था से उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि हुई है। उन्हें परम्परागत व्यवसाय से मुक्ति मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। उनकी गरीबी खत्म हुई है एवं उनकी अशिक्षा दूर हुई है। 100 प्रतिशत बच्चों के अनुसार उनके परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। 97 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार अन्य जातियों के सदस्यों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। 73.5 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है, जबकि 26.5 प्रतिशत के अनुसार शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भाई—भतिजावाद आदि होने के कारण उनका सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के सदस्यों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया है, शिक्षा प्राप्ति से उनके विचारों, दृष्टिकोण, प्रथाओं आदि में परिवर्तन हुआ है। शासकीय प्रयासों एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्ति से उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों में भी परिवर्तन आया है एवं वे समाज की मूलधारा के साथ जुड़कर समाज के विकास एवं उन्नति में सहायक हो रहे हैं, जिससे उनके सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है एवं आ रहा है।

उपकल्पनाओं का परीक्षण — उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निर्धारित उपकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।

1. प्रथम उपकल्पना की पुष्टि हेतु तालिका क्रमांक 1 के निष्कर्ष बताते हैं कि 82 प्रतिशत सूचनादाता बालिका शिक्षा के प्रति जागृत है एवं 90 प्रतिशत स्त्री शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण साधन मानते हैं। तालिका क्रमांक 2 के अनुसार 92 प्रतिशत के अनुसार दहेजप्रथा का प्रचलन नहीं है जो कि प्रथम उपकल्पना की पुष्टि करता है। 2. द्वितीय कल्पना हेतु तालिका क्रमांक 3 के निष्कर्ष बाताते हैं कि 73.5 प्रतिशत के अनुसार शासकीय प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। 100 प्रतिशत के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है एवं 97 प्रतिशत के अन्य जातियों के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे हैं, जिससे द्वितीय उपकल्पना की पुष्टि होती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव — उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनूसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में वर्तमान समय में परिवर्तन आया है। अस्पृश्यता की भावना समाप्त हुई है, जिससे उनके विचारों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, उनमें आत्म—गौरव की भावनाएँ जागृत हुई है। शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों का फायदा भी उन्हें मिल रहा है किन्तु उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इनके विकास, उन्नति एवं उत्थान के लिये शासकीय एवं अशासकीय स्तर पर और अधिक प्रयास किये जाए। उनके प्रति मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। उन्हें उन्नति एवं विकास के और अधिक अवसर दिये जाए एवं सभी क्षेत्रों में सहभागिता को प्रोत्साहन किया जाए। उनके प्रति सम्मानजनक, स्वस्थ एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाए ताकि वे समाज की मूलधारा के साथ विकास के नये आयामों को छुए एवं स्वयं व समाज की उन्नति व विकास में सहायक हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. चिरानिया बी.एल., जातिविहीन समाज, राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. जयपुर, 1995, पृ.क्र. 151—152
2. संपादक—रमणिका गुप्ता, दलित चेतना सोच, नवलेखन प्रकाशन, मेन रोड हजारीबाग, बिहार, 1998, पृ. XIV
3. पटनायक किशन, भारत शूद्रों का होगा (दो राष्ट्रीय संकट और शूद्र शक्ति का उपाय) समता प्रकाशन, दिल्ली, 1995, पृ. 81
4. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., यूनिफाइड समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1998, पृ. 44
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, 2003, उज्जैन जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2001, 2.8, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1991—2001 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय उज्जैन (म.प्र.)
6. मुकर्जी रवीन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विकेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 143